न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश एवं विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),प्रतापगढ़ (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री विकासकुमार खण्डेलवाल,
आर.जे.एस. (डी.जे. केडर)

निगरानी फौजदारी संख्या-16/2011

1)-श्री दिलीपकुमार पिता माणकलाल मेहता जैन निवासी बोरी,जिला प्रतापगढ़(राजस्थान)
2)-श्री श्रीपाल पिता नंदलाल जैन निवासी बोरी,जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान)
3)-श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी माणकलाल जैन निवासी बोरी,जिला प्रतापगढ़(राजस्थान)
---निगरानीकर्तागण-अभियुक्तगण-

ब ना म

1)-श्री राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ठ लोक अभियोजक,प्रतापगढ़(राजस्थान)---गैर निगराकार
2)-श्री विपीनकुमार पिता जयसिंह मेहता निवासी नीमच(मध्य प्रदेश)
---परिवादी-गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.02.2011,जो श्री राकेश रामावत,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग,प्रतापगढ़ द्वारा उनके रैग्यु.फौज.प्रकरण सं.13/2011,राज्य बनाम दिलीप आदि में पारित किया गया।

उपस्थित :

01. श्री पारसमल जैन,अधिवक्ता,निगरानीकर्तागण-अभियुक्तगण।
02. श्री तरूणदास वैरागी,विशिष्ठ लोक अभियोजक,राज्य पक्ष
03. गैर निगराकार सं.2 विपीन कुमार अनुपस्थित।

नि र्ण य दिनांक-24.05.2016

संक्षेप में सुसंगत तथ्य इसप्रकार हैं कि परिवादी विपीन मेहता ने दिनांक 30.04 08 को एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी,पुलिस थाना रठांजना पर इस आशय की पेश की कि उसके ससुर माणकलाल जी ने उसकी पत्नी श्रीमती नीलू को कृषि भूमि आराजीयात सं. 598,599, 600 एवं 601 दान में दी हैं। दिनांक 30.04.08 को परिवादी विपिन व उसके ससुर माणकलाल कृषि भूमि की देखभाल हेतु गये थे कि निगरानीकर्तागण-अभियुक्तगण एवं उनके साथी जिनकी संख्या 15 से 20 बताई हैं, हाथो में लाठी,तलवार,धारिये एवं बंदूक से लैस होकर आये व माणकलाल को घैर लिया , उन्हें पीटने लगे जिससे उनके चोटे आई। अभियुक्तगण द्वारा मोबाइल सेट सं0 3500, सोने की चेन तथा रू.5000/- छीन लेना व कपड़े फाड़ देना बताया हैं। घटना श्यामा पिता अमृतराम गायरी व नाथु पिता मोडा गायरी द्वारा

देखना बताया हैं, आदि।

02. उक्त इस्तगासा जांच हेतु धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अधीन पुलिस थाना रठांजना को भेजा गया, जहांपर प्रथम सूचना संख्या 49/08, अन्तर्गत धारा 143,447,323 एवं 341 भा0द0सं0 में मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान वर्तमान निगरानीकर्तागण-अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला अदम वकुआ(सिविल नेचर) झूंठा मानकर अंतिम प्रतिवेदन संख्या 06/08 प्रस्तुत किया जिसपर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने परिवादी विपिनकुमार को तलब किया तो परिवादी विपिनकुमार ने उपस्थित होकर प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की और अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं अपना बयान करवाया तथा शेष ताईदी साक्ष्य में श्यामलाल, नाथुलाल पिता मोडा, माणक लाल एवं नाथुलाल पिता लक्ष्मीचंद के बयान करवाये। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 07.02.2011 के द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन स्वीकार की एवं अंतिम प्रतिवेदन अस्वीकार किया एवं निगरानीकर्तागण के विरूद्ध धारा 147,447,323,324,341 एवं 323 भा0द0सं0 में प्रसंज्ञान लेकर उन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्तागण की ओर से यह निगरानी माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के यहां प्रस्तुत की गई और जो अन्तरित होकर निस्तारणार्थ इस न्यायालय में प्राप्त हुई हैं।

04. बहस पक्षकारान उभय पक्ष सुनी गई एवं इस न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

05. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण का तर्क हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 200 एवं 202 द0प्र0सं0 के संदिग्ध बयानों के आधार पर तथा अभिलेख पर विद्यमान अन्य तथ्यों को नजरअंदाज कर अपराध अन्तर्गत धारा 147, 447,392,323,324 एवं 341 भा0द0सं0 में प्रसंज्ञान लेने में त्रूटि की हैं जबकि विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने आलोच्य आदेश का समर्थन किया हैं।

06. जहातक अपराध अन्तर्गत धारा 447 भा0द0सं0 में प्रसंज्ञान लिये जाने का प्रश्न हैं, अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा हैं कि पक्षकारान के मध्य जिला न्यायालय, प्रतापगढ़ में गांव बोरी में स्थित आराजी सं.59,60,597 लगायत सं. 601 सहित अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियों के संबंध में विभाजन का दावा लंबित हैं जो जिला न्यायालय

में दिनांक 21.03.2006 को पेश किया गया हैं। इस वाद में उक्त कृषि आराजीयात के संबंध में दिनांक 10.10.2007 को अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय जिला न्यायालय द्वारा जारी की हुई हैं जबकि वर्तमान प्रकरण में इन्ही आराजीयात पर निगरानीकर्तागण–अभियुक्तगण एवं 15–20 अन्य व्यक्तियों का अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना बताया गया हैं। चूंकि इन आराजीयात के संबंध में जिला न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई हैं तथा इन्ही आराजीयात के संबंध में माणकलाल द्वारा श्रीमती नीलू के पक्ष में दानपत्र दिनांक 29.09.2007 को निष्पादित किया जाना प्रकट हो रहा है, ऐसी स्थिति में यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट हैं कि उक्त आराजी की बाबत पक्षकारों के मध्य स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर विवाद विद्यमान हैं।

07. **2000 क्रिमिनल ला रिपोर्टर (राजस्थान) पेज 87,अब्दुल गफ्फार बनाम राजस्थान राज्य** के न्यायिक दृष्टांत को पेश कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में धारा 447 एवं 392 भा0द0सं0 के आरोपो के तहत प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता हैं। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सादर अवलोकन किया गया। न्यायालय का यह मत हैं कि हमारे समक्ष लंबित मामले में भी पक्षकारों के मध्य विवादित आराजी सहित अन्य आराजीयात के बंटवारे का वादपत्र माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के यहां लंबित हैं जिससे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में निगराकारान के विरूद्ध धारा 447 भा0द0सं0 में प्रसंज्ञान लेने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की हैं और इस हद तक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 447 भा0द0सं0 में लिये गये प्रसंज्ञान से संबंधित आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

08. जहांतक धारा 392 भा0द0सं0 में लिये गये प्रसंज्ञान का प्रश्न हैं, इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.49/08 में परिवादी विपिन ने स्वयं का मोबाइल नं. 3500, माणकलाल के सोने की चैन एवं रू.5000/– नकद छीन लेना बताया गया हैं किन्तु परिवादी विपिन ने अपने बयानों में किसी व्यक्ति को उक्त सामान एवं धनराशि छीनने हेतु नामजद नहीं किया हैं। उक्त धनराशि अथवा मोबाइल भी अनुसंधान के दौरान बरामद नहीं हुए हैं। परिवादी के गवाह श्यामलाल एवं माणकलाल ने अभियुक्त दिलीप का नाम मोबाइल छीनने वाले के रूप में लिया हैं किन्तु जब परिवादी विपिन स्वयं ही अपना मोबाइल छीनने के लिये किसी को नामजद नहीं करता हैं तो ऐसी स्थिति में दूर से घटना देखने वाले साक्षी द्वारा किसीको नामजद किया जाना संदिग्ध ही हैं। इसी प्रकार साक्षी माणकलाल उसके पांच हजार रूपये एवं सोने की चेन

अभियुक्तगण श्रीमती पुष्पा और श्रीपाल द्वारा छीनना बताता हैं परंतु इस तथ्य की ताईद परिवादी पक्ष का कोई गवाह नहीं करता हैं।

09. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण–अभियुक्तगण ने **1998 क्रिमिनल ला रिपोर्टर (राजस्थान) पेज 476,महावीर बनाम श्रीमती पूनादेवी एवं अन्य** का न्यायिक दृष्टान्त पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया जबकि इसके विपरीत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **2015 क्रिमिनल ला रिपोर्टर (सुप्रीम कोर्ट) पेज 288,सोनु गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता** में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया हैं :

> "At the time of cognizance Magistrate is req uired to apply his judicial mind to find out whether prima facie case is made out.Defence is not required to be considered nor to evaluate the merits."

ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का धारा 392 भा0द0सं0 में प्रसंज्ञान लेने से संबंधित आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

10. जहांतक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 323,324, 341 एवं 147 भा0द0सं0 में प्रसंज्ञान लिये जाने का संबंध हैं,अनुसंधान के दौरान बनाये घटनास्थल के नकशे में मारपीट की घटना "वाई" स्थान पर होना बताया गया हैं। परिवादी विपिन एवं माणकलाल के चोट प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध हैं जिनमें मजरूह विपिन एवं माणकलाल के शरीर पर भोंटे हथियार से साधारण चोटे होना तथा माणकलाल के शरीर पर धारदार हथियार से साधारण चोट होना भी प्रकट हो रहा हैं। परिवादी एवं उसके गवाहान के बयानात से यह पुष्ट हो रहा हैं कि घटनास्थल पर निगरानीकर्तागण–अभियुक्तगण अन्य 15–20 व्यक्ति एक साथ हथियारों से लैस होकर आये एवं मारपीट की हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तगण को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने का आदेश दिया था वह आदेश माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा संशोधित किया जाकर उन्हें जमानती वारंट से तलब करने का आदेश दिया हैं। इन अभिलेखीय परिस्थितियों में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने

अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323,324,341 एवं 147 भा0द0सं0 में प्रसंज्ञान लिये जाने का जो आदेश दिया हैं,वह पुष्ट किये जाने योग्य हैं।

::: आ दे श :::

11. अतएव निगरानीकर्तागण–अभियुक्तगण दिलीपकुमार, श्रीमती पुष्पा एवं श्रीपाल द्वारा पेश की गई यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 07.02.2011 जिसके द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 447 एवं 392 भा0द0सं0 में प्रसंज्ञान लिया गया, अपास्त किया जाता हैं किन्तु अपराध अन्तर्गत धारा 147,323,324 एवं 341 भा0द0सं0 में प्रसंज्ञान लेने से संबंधित आलोच्य आदेश समपुष्ट किया जाता हैं।

12. इस आदेश की एक प्रति के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

(विकासकुमार खण्डेलवाल)

आदेश आज दिनांक 24.05.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकासकुमार खण्डेलवाल)